

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		
विहंगावलोकन		
पहला अध्याय		
राज्य शासन का वित्त		
प्रस्तावना	1.1	
गत वर्ष के संदर्भ से वित्त की प्रवृत्ति	1.2	
वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.3	
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.4	
आधार भूत सूचकों द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति	1.5	
संसाधनों की प्रयुक्ति	1.6	
प्राथमिकता पर व्यय विभाजन	1.7	
परिसंपत्तियाँ एवं देयतायें	1.8	
घाटे का प्रबंधन	1.9	
वित्तीय अनुपात	1.10	
दूसरा अध्याय		
विनियोग लेखापरीक्षा एवं व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	
आवंटीय प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	
असमाधानित व्यय	2.4	
दोषपूर्ण पुनर्विनियोग	2.5	
व्यय की अधिकता	2.6	
बजटीय नियंत्रण	2.7	
ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का उपयोग	2.8	

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
निष्पादन मूल्यांकन		
लेखापरीक्षा समीक्षाएं		
कृषि विभाग		
कृषि विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा	3.1	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम	3.2	
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग		
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य छात्रवृत्ति	3.3	
जल संसाधन विभाग		
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	3.4	
विविध एवं अन्य बिन्दु		
समाज कल्याण विभाग		
विकलांगों का कल्याण	3.5	
अध्याय-चौथा		
व्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ		
लेखा परीक्षा कंडिकार्यें		
निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान	4.1	
लोक निर्माण विभाग		
सड़क कार्यों के लिये मंहगे टेक कोट को विवेकहीन रूप से अपनाना	4.1.1	
ठेकेदार को अनुचित पक्षपात	4.1.2	
वन विभाग		
क्षतिपूरक वनीकरण पर निष्फल व्यय	4.1.3	
वृक्षों के चिन्हांकन पर निरर्थक व्यय	4.1.4	
गृह विभाग		
वेतन निर्धारण की बकाया राशि के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली न होना	4.1.5	
संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन/ठेकेदारों का अनुचित रूप से पक्ष लेना	4.2	

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
लोक निर्माण विभाग		
नयी बिछायी गई बिटूमिनस परतों के मध्य टेक कोट का परिहार्य व्यय	4.2.1	
विमानन विभाग		
हेलीकॉप्टर प्रदाय में देशी के कारण हानि	4.2.2	
परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय	4.3	
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
मंहगे जी.आई.पाइप्स के उपयोग पर परिहार्य व्यय	4.3.1	
जल संसाधन विभाग		
उच्च दरों पर निविदाओं की स्वीकृति के कारण परिहार्य व्यय	4.3.2	
वन विभाग		
कार्यशील व्यय की अधिकतम सीमा का अनुसरण न करना	4.3.3	
जन संपर्क विभाग		
15 प्रतिशत विज्ञापन प्रभार की कटौती न करने से संदिग्ध भुगतान	4.3.4	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
रसोइये के वेतन भत्तों पर निष्फल व्यय	4.3.5	
निष्क्रिय विनियोग/निष्क्रिय स्थापना/निधियाँ अवरूद्ध होना	4.4	
राजस्व विभाग		
निष्क्रिय पूंजी	4.4.1	
विनियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु	4.5	
सहकारिता विभाग		
सहकारिता बैंक के द्वारा खाद की विक्रय प्राप्तियों के देशी से प्रेषण पर ब्याज की वसूली न करना	4.5.1	

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
पाँचवा अध्याय		
आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था		
आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग		
आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन	5.1	
छठवाँ अध्याय		
सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ		
सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	6.1	
लेखापरीक्षा कंडिकार्यें		
सरकारी कंपनियाँ		
6.2		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
बोरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण परिहार्य भुगतान	6.2.1	
वन विभाग		
स्वयं की निधियों के उपयोग में असफल रहने के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय	6.2.2	
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग		
जल की मांग के निर्धारित करने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय	6.2.3	
अनियमित छूट प्रदान करना	6.2.4	
सांविधिक निगम		
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल		
इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मीटरों की प्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब	6.2.5	
समान उपकरणों की प्राप्ति के लिये उच्च दरें स्वीकार करने के कारण परिहार्य व्यय	6.2.6	
उपकरण खरीदी की उच्च दरें स्वीकार करने के कारण हानि	6.2.7	

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
सातवाँ अध्याय		
राजस्व प्राप्तियाँ		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.1	
सरकारी राजस्व पर अनुवर्ती टिप्पणी	7.2	
बजट अनुमानों एवं वास्तविकों में अंतर	7.3	
संग्रहण की लागत	7.4	
प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण	7.5	
बकाया राजस्व का विश्लेषण	7.6	
निर्धारण हेतु बकाया	7.7	
कर का अपवंचन	7.8	
वापसियाँ	7.9	
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.10	
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया	7.11	
कर राजस्व		
वाणिज्यिक कर		
बंद इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न करना	7.12	
टर्न ओवर का गलत निर्धारण	7.13	
क्रय कर का अनारोपण	7.14	
प्रवेश कर का अनारोपण	7.15	
नये उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट	7.16	
नवीन औद्योगिक इकाईयों को गलत छूट प्रदान करना	7.17	
शास्ति का अनारोपण	7.18	
कर का अनारोपण	7.19	
कर एवं शास्ति का अनारोपण	7.20	
अनुवर्ती विक्रय पर गलत छूट	7.21	
कर की गलत दर लागू करना	7.22	
राज्य उत्पाद शुल्क		
शर्करा परिमाण के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना	7.23	
वाहनों पर कर		
वाहन कर और शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण	7.24	

विवरण	कंडिका पृष्ठ
जमा किये गये परमिटों को गलत स्वीकार करने के कारण वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	7.25
भू-राजस्व	
कार्यवाही शुल्क अनारोपण	7.26
ब्याज/किराये का अनारोपण/वसूली न करना	7.27
अन्य कर राजस्व	
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
बाजार मूल्य के निर्धारण में विलंब/अवमूल्यांकन के कारण राजस्व की हानि	7.28
गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	7.29
मनोरंजन शुल्क	
मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	7.30
कर- भिन्न राजस्व	
वन प्राप्ति	
बांस कूपों के कार्यशील न होने के कारण राजस्व की हानि	7.31
बांस के कम उत्पादन के कारण हानि	7.32
इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	7.33
खनन प्राप्ति	
रायल्टी की वसूली न होना	7.34
रायल्टी की कम वसूली	7.35
किराया एवं ब्याज की वसूली न होना	7.36
अन्य कर- भिन्न प्राप्ति	
लोक निर्माण विभाग	
आवासीय भवनों (वर्गीकृत) के 2.15 लाख रु. की लाइसेंस शुल्क की कम वसूली/वसूली न होना	7.37
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	
शासकीय भवनों के लाइसेंस शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	7.38

परिशिष्ट		
सरल क्र.	विवरण	कंडिका क्र.
I	31 मार्च 2003 को छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	1.8
II	वर्ष 2002-03 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.8
III	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.8
IV	राज्य शासन की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण	1.8
V	अध्याय-1 में उपयोग में लाये गये शब्दों की शब्दावली एवं उनकी संगणना का आधार	1.4
VI	वे प्रकरण जिनमें व्यय 1 करोड़ रु. से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से भी कम रहा हो	2.3.1
VII(i)	योजनाओं के अधीन सार-भूत बचत वाले प्रकरण	2.3.1
VII(ii)	वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.3.1
VIII	अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है	2.3.2
IX	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	2.3.4
X	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ	2.3.4
XI	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	2.3.4
XII	योजना के अधीन सार-भूत आधिक्य वाले प्रकरण	2.3.5
XIII	विवेकहीन अभ्यर्पण/अनियमित/गलत पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	2.3.6
XIV	कुछ प्रकरण जिनमें निधियों की उपलब्ध बचत से अधिक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा प्रत्याहरण किया गया, परिणामस्वरूप अंतिम आधिक्य हुआ	2.3.6
XV	बचत होने पर भी पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के अनावश्यक आवर्धन के प्रकरण	2.3.6
XVI	बजट प्रावधान का व्यपगमन	2.3.7
XVII	निधियों का अभ्यर्पण	2.3.7
XVIII	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृति	2.5
XIX	मार्च 2003 के दौरान व्यय की अधिकता	2.6

सरल क्र.	विवरण	कंडिका क्र.
XX	अनुदानों की बजट समीक्षा के लिये योजनाओं के अधीन सारभूत बचत	2.7.1
XXI	वे प्रकरण जिनमें बजट आवंटन के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया/कम व्यय किया गया	2.7.1
XXII (i)	प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	2.7.1
XXII(ii)	प्रकरण जिनमें योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ	2.7.1
XXIII	योजनाओं के अंतर्गत व्यय की अधिकता	2.7.1
XXIV	मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयित अनुदानों के विवरणों का उपयोग दर्शाने वाला प्रपत्र	2.8
XXV	वर्ष 2000-2003 के दौरान सतत बचत वाले महत्वपूर्ण प्रकरणों को दर्शाने वाला पत्रक	3.1.4
XXVI	बिना आवश्यकता के निधियों के आहरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.4
XXVII	लंबित विस्तृत आकस्मिकता बिलों को दर्शाने वाला विवरण - पत्रक	3.1.4
XXVIII	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत 2001-03 की अवधि के लिये भौतिक और वित्तीय शर्तों में अवयव वार लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.5
XXIX	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 2001-03 के दौरान अवयव वार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.5
XXX	2000-03 के दौरान मजदूरी अनुसंधान पर व्यय और उद्यानों की आय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.5
XXXI	सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.7
XXXII	छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य समिति (एड्स उप समिति) की वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	3.2.5
XXXIII	शिविरों में उपस्थित व्यक्तियों तथा पुनरूत्पादन क्षेत्र संक्रमण/लैंगिक सम्प्रेषित संक्रमण के सन्दर्भित एवं उपचारित प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.6

सरल क्र.	विवरण	कंडिका क्र.
XXXIV	नवंबर 2000-01 से लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये देय छात्रवृत्ति की दरें	3.3.2
XXXV	विलंब से मुक्त की गयी छात्रवृत्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.7
XXXVI	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर कार्यालय में छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.7
XXXVII	छात्रवृत्ति का देशी से आहरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.7
XXXVIII	अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों को धनादेशों को अनियमित जारी किया जाना दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.3.8
XXXIX	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निधियों का अनियमित व्यपवर्तन	3.3.9
XL	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत मुक्त की गई, उपयोग की गई और वापस की गई निधियों की वर्षवार और परियोजनावार स्थिति	3.4.4
XLI	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमोदित परियोजना के विवरण	3.4.6
XLI A	31.3.2003 को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं का भौतिक स्तर	3.4.6
XLII	निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी दोनों तरह की परियोजनाओं की अधिक लागत और समय	3.4.6
XLIII	वित्तीय परिव्यय एवं कार्य एवं स्थापना पर व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.4.6
XLIV	निधियों का व्यपवर्तन	3.4.6
XLV	खरसिया शाखा नहर से संबंधित दिसंबर 2001 से जून 2002 के दौरान स्वीकार की गयी निविदाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.4.6
XLVI	दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत और अन्य बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.4.6
XLVII	मिट्टी कार्य के लिये उच्च दरें अनुमत्त करने के कारण अमान्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.4.6
XLVIII	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2003 को बजट से प्राप्त पूंजी ऋण/इक्विटी अन्य ऋण और लंबित ऋणों को दर्शाने वाला पत्रक	6.1.1 6.1.3 6.1.4 6.1.5

सरल क्र.	विवरण	कंडिका क्र.
XLIX	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के लिये, जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	6.1.1 और 6.1.6
L	मार्च 2003 के अंत में प्राप्त सहायता, प्राप्त गारण्टियों, बकाया का स्वत्व त्याग, ऋण जिन पर मोहलत दी गई हो, वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण और वसूली योग्य सहायता तथा लंबित गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.1 और 6.1.5
LI	विभाग वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.7
LII	विभागवार प्रारूप कंडिकाएं, जिनके उत्तर अपेक्षित हैं दर्शाने वाला विवरण पत्रक	6.1.7
LIII	गुणवत्ता सुनिश्चित करने में असफलता के कारण परिहार्य व्यय	6.2.1